फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

रामकरण बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–128 एल.आर.ए. मु0नं0– 66 / 2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2026	पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी भूमि खसरा संख्या 223, 292, 293 वाके रामा फर्राशपुरा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि में से खसरा नंबर 292 एवं 293 का सीमाज्ञान दिनांक 17.06.2021 को उप तहसीलदार बहरावण्डा के आदेश से करवाया जा चुका है एवं सीमाचिन्ह स्थापित है। प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी आराजी में पत्थरगढी नहीं की गई है, बिना पत्थरगढी के सीमाज्ञान का कोइ औचित्य नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही हेतु आदेश प्रदान किए जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी विधिवत की गई, अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार बहरावण्डा से जवाब स्टेट तलब किया गया। प्रकरण में बहरावण्डा द्वारा जवाब पेश किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाया जा चुका हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिस पर 128 एल0आर0एक्ट के प्रावधानों के अनुसरण में खातेदारान को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कार्यवाही करवाने का पूर्ण अधिकार है। जवाब स्टेट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिस पर प्रार्थी को पत्थरगढी करवाने के पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि आराजी खसरा नम्बर 292, 293 वाके रामा फर्राशपुरा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा की पत्थरगढी के आदेश तहसीलदार बहरावण्डा को प्रदान किए जाते है। तहसीलदार नियमानुसार पत्थरगढी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	